

Order No:- 96R/2020-21

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

केंद्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 11.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Nakul K. Nath के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 219 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	YASHRAJ DEARIYA	SH. GAJENDRA DEHARIYA MOB- 9999616817	1	NO.1 CHHINDWARA
2	BHAVNI YADUWANSHI	SH. SANDEEP YADUWANSHI MOB- 9999616817	1	JAMAI
3	PARTH GHATODE	SH. SANDEEP GHATODE MOB- 9999616817	1	PANDHURNA
4	ADITI SINHA	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
5	NISHANT TILANTE	SH. DEVI PRASAD TILATE MOB- 9999616817	1	NO.1 CHHINDWARA
6	NISHITA VERMA	SH. NEERAJ VERMA MOB- 9999616817	1	NO.1 CHHINDWARA
7	KOYAL VERMA	SH. RAJESH VERMA MOB- 9999616817	2	NO.1 CHHINDWARA
8	ARAB SURYAVANSHI	SH. JITENDRA SURYAVANSHI MOB- 9999616817	5	NO.1 CHHINDWARA
9	RISHIKA ALDAK	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
10	ADITI RAJPUT	SH. RANJEET SINGH RAJPUT MOB- 9999616817	7	NO.1 CHHINDWARA

पिता ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिता 01/08/20
11/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Nakul K. Nath माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, JABALPUR संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)